रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 2003/आषाढ़ 10, 1925

No. 302] **NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 2003/ASADHA 10, 1925**

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2003

सा.का.नि. 520(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986(1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2003 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में,

(क) डीजल से चलने वाले जेनरेटर सेटों के लिए शोर सीमा से संबंधित क्रम संख्यांक 94 में

(I) पैरा 1 में, दोनों स्थानों पर "1 जुलाई, 2003" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, क्रमशः "1 जुलाई, 2004" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।

(II) पैरा 3, पैरा 3.1 और पैरा 3.2 में, "1 जुलाई, 2003" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, क्रमशः "1 जुलाई, 2004" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।

(ख) नए डीजल इंजन (800 किलोवाट तक) के लिए उत्सर्जन सीमा जेनरेटर सेटों (जैनसेट्स) को लागू होगा से संबंधित क्रम सं0 95 में,-

(i) पैरा 1 और उससे संबंधित सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

1. उत्सर्जन सीमा

1814 GI/2003

800 किलोवाट तक के नए डीजल इंजनों के लिए उत्सर्जन सीमा, जेनसेटों के लिए वह लागू होगी जो नीचे की सारणी में दी गई है ।

सारणी

डीजल इंजनों की क्षमता	कार्यान्वयन की तारीख	उत्सर्जन सीमा (ग्रा / कि0वा0 प्रतिघंटा)				धुंआ सीमा (प्रकाश अवशोषण सहदक्षता, मी$^{-1}$)(पूर्ण लोड पर)	परीक्षण चक्र	
		एनओ एक्स के लिए	एचसी के लिए	सीओ के लिए	पीएम के लिए		ट्रोक %	भार तोलन कारक
19 कि0वा0तक	1.7.2004	9.2	1.3	3.5	0.3	0.7	100 75	0.05 0.25
>19 कि0वा0 से 176 कि0वा0 तक	1.1.2004	9.2	1.3	5.0	0.5	0.7	50	0.30
	1.7.2004	9.2	1.3	3.5	0.3	0.7	25	0.30
> 176 कि0वा0 से 800 कि0वा0 तक	1.7.2004	9.2	1.3	3.5	0.3	0.7	10	0.10

टिप्पण I.— 19 कि0वा0 तक के प्रवर्ग वाले डीजल ईंजन विनिर्माता, जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सा0का0नि0 371 (अ.) तारीख 17 मई, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा जनेसेट अनुप्रयोगों के लिए ऐसे डीजल इंजनों के लिए नियत उत्सर्जन सीमाओं को पूरा करने में समर्थ नहीं है, इस शर्त के अधीन रहते हुए इस अधिसूचना के अधीन दिए गए समय विस्तार का लाभ ले सकें कि प्रत्येक ऐसा विनिर्माता (i) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को या संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को समितियों को, जहां वे अवस्थित हैं, इस आशय का शपथ पत्र देगा कि वह विनिर्दिष्ट उत्सर्जन सीमाओं के समय के और विस्तार की मांग किए बिना उस प्रवर्ग के इंजनों के लिए इसमें ऊपर दी गई कार्यान्वयन की विस्तारित तारीख के अनुसार अनुपालन करेगा और (ii) 50,000 रुपये (पचास हजार रु0) की बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा जो अननुपालन न किए जाने की दशा में समपहृत कर ली जाएगी ।

टिप्पण II.— 19 कि.वा. से अधिक और 800 कि.वा. तक के इंजनों के प्रवर्ग वाले डीजल इंजन विनिर्माता जो उक्त अधिसूचना द्वारा जेनसेट अनुप्रयोगों के लिए ऐसे डीजल इंजनों के लिए नियत उत्सर्जन सीमाओं को पूरा करने में असमर्थ है इस शर्त के अधीन रहते हुए इस अधिसूचना के अधीन प्रदान किए गए समय विस्तार के फायदे का लाभ ले सकेंगे कि प्रत्येक ऐसा विनिर्माता (i) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को या संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को या समितियों को, जहां वे अवस्थित हैं, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि विनिर्दिष्ट उत्सर्जन सीमाओं का उनके द्वारा समय विस्तार की मांग किए बिना उस प्रवर्ग के इंजनों के लिए इसमें ऊपर दी गई कार्यान्वयन की विस्तारित तारीख के अनुसार अनुपालन किया जाएगा और (ii) 1000000(दस लाख रुपए) की रकम की एक बैंक गारन्टी प्रति मूल इंजन माडल प्रस्तुत करेगा जो अननुपालन की दशा में समपहृत हो जाएगी ।

टिप्पण III.— 176 कि.वा. से अधिक और 800 कि.वा. तक के इंजनों के प्रवर्ग वाले डीजल इंजन विनिर्माता, ऊपर टिप्पण-2 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड को या संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्डों को या समितियों को जहां वे अवस्थित हैं इस आशय का शपथ पत्र भी देंगे कि वे या तो व्यष्टिक या सामान्य परीक्षण सुविधा विकसित करेंगे तथा उन्हें अनुसूची-1 के क्रम.सं. 95 के पैरा 8 में उल्लिखित प्रमाणन अभिकरणों से अनुमोदित कराएंगे "

(ग) पैरा 6 में अंक और शब्द "20 कि.वा." के स्थान पर अंक और शब्द "19 कि.वा." प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. क्यू.15022/2/2001-सी पी ए]
सी. विश्वनाथ, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र में सं0 का0आ0 844(अ), तारीख 19 नवम्बर , 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनके पश्चातवर्ती संशोधन का0आ0 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987, का0आ0 64(अ), तारीख 18 जनवरी, 1988, का0आ0 3(अ), तारीख 3जनवरी, 1989, का0आ0 190(अ) तारीख 15 मार्च, 1989, सा0का0नि0 913(अ), तारीख 24 अक्तूबर, 1989,का0आ0 12(अ), तारीख 8 जनवरी 1990, सा0का0नि0 742 (अ), तारीख 30 अगस्त, 1990, का0आ0 23 (अ), तारीख 16 जनवरी, 1991, सा0का0नि0 93 (अ), तारीख 21 फरवरी, 1991, सा0का0नि0 95(अ) , तारीख 12 फरवरी, 1992, सा0का0नि0 329 (अ), तारीख 13 मार्च, 1992 सा0का0नि0 475(अ), तारीख 5 मई, 1992, सा0का0नि0 797(अ), तारीख 1 अक्तूबर, 1992, सा0का0नि0 386(अ), तारीख 28 अप्रैल, 1993, सा0का0नि0 422(अ), तारीख 19 मई, 1993, सा0का0नि0 801(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 1993, सा0का0नि0 176(अ), तारीख 3 अप्रैल, 1996, सा0का0नि0 631(अ) तारीख 31 अक्तूबर 1997, सा0का0नि0 504(अ), तारीख 20 अगस्त, 1998, सा0का0नि0 7(अ) तारीख 2 जनवरी, 1999, सा0का0नि0 682(अ), तारीख 5 अक्तूबर, 1999, सा0का0नि0 742(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2000, सा0का0नि0 72(अ) तारीख 6 फरवरी, 2001 और सा0का0नि0 54(अ), तारीख 22.1.2002 सा0का0नि0 371(अ) तारीख 17 मई, 2002, सा0का0नि0 489(अ) तारीख 9 जुलाई, 2002 , का0आ0 1088(अ) तारीख 17 मई, 2002, सा0का0नि0 489(अ) तारीख 9 जुलाई, 2002, का0 आ0 1088(अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2002 और सा0का0नि0 849(अ) तारीख 30 दिसम्बर, 2002 द्वारा किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2003

G.S.R. 520(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986 namely :-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2003.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment(Protection) Rules, 1986, in Schedule I,-

   (a) in serial number 94 relating to NOISE LIMIT FOR GENERATOR SETS RUN WITH DIESEL, -

   (i) in paragraph 1, for the words, letters and figures "the 1st July, 2003", at both the places, the words, letters and figures " the 1st July, 2004" shall respectively be substituted;

   (ii) in paragraphs 3, 3.1 and 3.2, for the word, letters and figures "1st July, 2003", the word, letters and figures "1st July, 2004" shall respectively be substituted;

   (b) in serial number 95 relating to EMISSION LIMITS FOR NEW DIESEL ENGINES (UP TO 800 KW) FOR GENERATOR SETS (GENSETS) APPLICATIONS,-

   (i) for paragraph 1 and the TABLE relating thereto, the following shall be substituted, namely : -

   " 1. Emission Limits

The emission limits for new diesel engines upto 800 kW for gensets applications shall be as given in the Table below :

TABLE

Capacity of diesel engines	**Date of implementation**	**Emission Limits (g/kw-hr) for**				**Smoke Limit (light absorption coefficient, m^{-1}) (at full load)**	**Test Cycle**	
		NOx	**HC**	**CO**	**PM**		**Torque %**	**Weighting factors**
Upto 19 kW	1.7.2004	9.2	1.3	3.5	0.3	0.7	100	0.05
							75	0.25
>19 kW upto 176 kW	1.1.2004	9.2	1.3	5.0	0.5	0.7	50	0.30
	1.7.2004	9.2	1.3	3.5	0.3	0.7	25	0.30
							10	0.10
> 176 kW upto 800 kW	1.7.2004	9.2	1.3	3.5	0.3	0.7		

Note I :— The diesel engine manufacturers in the category of engines upto 19 kW, who are unable to meet the emission limits fixed for such diesel engines for gensets applications vide the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number G.S.R. 371(E) dated 17th May, 2002 (herein referred to as the said notification), may avail the benefit of extension of time provided under this notification subject to the condition that every such manufacturer shall submit (i) an affidavit to the Central Pollution Control Board or the respective State Pollution Control Boards or Committees where they are located to the effect that the specified emission limits shall be complied with by them as per the

extended date of implementation given hereinabove for that category of engines without seeking further extension of time and (ii) a bank guarantee of Rs. 50,000 (Rupees Fifty thousand) which in case of non compliance shall stand forfeited,

Note II :— The diesel engine manufacturers in the category of engines of more than 19 kW and upto 800 kW, who are unable to meet the emission limits fixed for such diesel engines for gensets applications vide the said notification may avail the benefit of extension of time provided under this notification subject to the condition that every such manufacturer shall submit (i) an affidavit to the Central Pollution Control Board or the respective State Pollution Control Boards or Committees where they are located to the effect that the specified emission limits shall be complied with by them as per the extended date of implementation given hereinabove for that category of engines without seeking further extension of time and (ii) a bank guarantee for an amount of Rs 10,00,000/- (Rupees ten lakhs) per parent engine model which in case of non compliance shall stand forfeited.

Note III :— The diesel engine manufacturers in the category of engines of more than 176 kW and upto 800 kW shall, in addition to the conditions specified in Note II above, also give an affidavit to the Central Pollution Control Board or to the respective State Pollution Control Boards or Committees where they are located to the effect that they shall develop either individual or a common test facility and get the same approved by the certification agencies mentioned in paragraph 8 of serial number 95 of Schedule I. "

(c) in paragraph 6, for the figures and letters "20 kW", the figures and letters " 19 kW " shall be substituted.

[F. No. Q. 15022/2/2001-CPA]

C. VISWANATH, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O.844(E) 19th November, 1986 and subsequently amended vide S.O.433(E) dated 18th April, 1987, S.O.64(E) dated 18th January, 1988, SO.3(E) dated 3rd January, 1989, S.O.190(E) dated 15th March, 1989, G.S.R.913(E) dated the 24th October, 1989, S.O.12(E) dated the 8th January, 1990, G.S.R. 742 (E) dated the 30th August, 1990, S.O. 23(E) dated the 16th January, 1991, G.S.R. 93(E) dated the 21st February, 1991 G.S.R. 95(E) dated the 12th February, 1992, G.S.R. 329(E) dated the 13th March,1992, G.S.R. 475(E) dated the 5th May, 1992, G.S.R. 797(E) dated the 1st October, 1992, G.S.R. 386(E) dated the 28th April, 1993, G.S.R. 422(E) dated the 19th May, 1993, G.S.R. 801(E) dated the 31st December, 1993, G.S.R. 176(E) dated the 3rd April, 1996, G.S.R. 631(E) dated the 31st October, 1997, G.S.R. 504(E) dated the 20th, August, 1998, G.S.R. 7(E) dated the 2nd January, 1999, G.S.R. 682(E) dated the 5th October,1999, G.S.R. 742(E) dated the 25th September, 2000, G.S.R. 72(E) dated the 6th February, 2001, G.S.R. 54(E) dated the 22nd January, 2002, G.S.R. 371(E) dated the 17th May, 2002, G.S.R. 489(E) dated the 9th July, 2002, S.O. 1088(E) dated the 11th October, 2002 and G.S.R. 849(E) dated the 30th December, 2002.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.